(46)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **इकबाल सिंह बैंस**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1521-पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 26-4-17 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 663/15-16/अपील.

मेसर्स योगेश्वरी इन्टरप्राईजेज द्वारा पार्टनर
श्रीमती चेतना झाम पत्नी रमन झाम
निवासी 3· गीता कॉलौनी हास्पिटल रोड
लश्कर ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1. केशव सिंह पुत्र पंचम सिंह
   निवासी ग्राम पुरासानी
   तहसील व जिला ग्वालियर
   हाल निवासी कांच मिल, ग्वालियर
2. विद्याराम पुत्र तुलसीराम
   निवासी ग्राम पुरासानी
   तहसील व जिला ग्वालियर
   हाल निवासी कांच मिल, ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28-8-19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 26-4-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 2 विद्याराम द्वारा तहसीलदार, ग्वालियर के समक्ष संहिता की धारा 70 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम

पुरासानी की भूमि सर्वे क्रमांक 121/मिन-1 रकबा 0.627 हेक्टेयर का बटांकन किये जाने की मांग की गई । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/14-15/अ-3 दर्ज कर दिनांक 22-1-16 को बटांकन आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 केशव सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30-6-2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त करते हुए तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त, ग्वालियर द्वारा दिनांक 26-4-17 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किए गए, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ निगरानीकर्ता ने अपनी याचिका में यह तथ्य प्रकट किया है कि केशव सिंह पिता पंचम सिंह द्वारा जो द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी उसमें उसे पक्षकार नहीं बनाया गया । प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 121/मिन-1 का रकबा 0.627 हेक्टेयर था जिसमें से रकबा 0.070 हेक्टेयर भूमि राजष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अर्जित की गई शेष रकबा 0.557 हेक्टेयर भूमि विद्याराम पिता तुलसीराम ने याचिकाकर्ता को दिनांक 7-8-2015 को विक्रय कर दिया है । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रकरण क्रमांक 91/2014-15/अ-6 में पारित आदेश दिनांक 4-1-2016 के द्वारा तहसीलदार ने उनका नामांतरण भी कर दिया । अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय के समक्ष उसे पक्षकार नहीं बनाया गया न ही कोई सुनवाई का अवसर मिल सका । अत: निगरानीकर्ता ने निगरानी स्वीकार कर न्यायालय अपर आयुक्त के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 26-4-17 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि संयुक्त खाते की भूमि है, किन्तु तहसील न्यायालय द्वांरा उसे बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय रूप से बटांकन आदेश पारित किया है । यह भी कहा गया कि आलोच्य कार्यवाही के समय वह जेल में बंद था और जेल से छूटने के बाद उसके द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से उठाये गये आधारों पर बिना विचार किए अपील निरस्त की गई है । उपरोक्त स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की गई है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 ने अनावेदक क्रमांक 1 के तर्कों का समर्थन किया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय में प्रस्तुत एक अन्य याचिका क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/1541 में इस न्यायालय द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 663/15-16/अपील में पारित आदेश दिनांक 26-4-17 को यथावत रखा गया है । इस आदेश का कुल प्रभाव यह पड़ेगा कि अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित दोनों आदेश निरस्त माने जायेंगे । फलस्वरूप तहसीलदार को सभी पक्षकारों को पुन: सुनवाई कर बटान के संबंध में पुन: आदेश पारित करना होगा । याचिकाकर्ता द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं उसकी पुष्टि के लिए तहसील न्यायालय का नामांतरण प्रकरण क्रमांक 91/2014-15/अ-6 का रिकार्ड इस न्यायालय द्वारा आहूत नहीं किया गया । निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी के साथ तहसीलदार के द्वारा उक्त प्रकरण में पारित कथित आदेश दिनांक 4-1-2016 की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की है । ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि नहीं की जा सकती ।

7/ प्रकरण में विद्यमान परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-4-17 को इस न्यायालय द्वारा एक अन्य याचिका क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/1541 में यथावत रखा है । अत: यह निगरानी स्वीकार की जाना न्यायोचित नहीं है परन्तु प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि अपर आयुक्त, ग्वालियर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 663/15-16/अपील में पारित आदेश दिनांक 26-4-17 के परिप्रेक्ष्य में जब तहसीलदार ग्वालियर प्रकरण में पुन: सुनवाई करेंगे तो वह याचिकाकर्ता मेसर्स योगेश्वरी इन्टरप्राईजेज द्वारा पार्टनर श्रीमती चेतना झाम पत्नी रमन झाम निवासी 3 गीता कॉलौनी हास्पिटल रोड लश्कर ग्वालियर को सूचना पत्र देकर सुनवाई का अवसर दें । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी याचिका निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों । मूल अभिलेख सम्बन्धित न्यायालय को भेजा जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(इकबाल सिंह बैंस)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर